

रजिरदेशन नम्बर-एरा०एस०पी०/एत०-

डब्लo/एनoपीo-91/2014-16

लाइरोन्स दू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 16, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

on volsasinton la nodellas संख्या 5/2021/3968/6-पु-1-21-1300(7)-1994 को कार्या व कार्या के अपने कार्या के विकास लंखनऊ, 7 दिसम्बर, 2021

> अधिसूचना प्रकीर्ण

साठपठनि० 91

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेंडियो अधीनस्य सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021

- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (चतुर्थ संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2021 कही जायेगी। प्रारम्भ
 - (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 में, नीचे स्तम्भ-1 में नियम 12 का दिए गए नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम 🔧 💛

वैवाहिक प्रास्थित

12-ऐसा/ऐसी व्यक्ति:-

विवाह किया हो/की हो, जिसका/जिसकी

स्तम्भ-2

एतदुद्वारा प्रतिस्थापित नियम

वैवाहिक प्रास्थिति

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए (क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी जिसकी एक से अधिक पति/पत्नियां जीवित पहले से जीवित पति/पत्नी हो; या हों या ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी

454 RPH 2021 (Grih Polich anu-1) data 4e

स्तम्भ-1

स्ताम्भ-2

विद्यमान नियम

एतद्बारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित जिसने ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो, होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह जिसकी पहले से एक पति/पत्नी जीवित हो। किया हो/की हो,

सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुझेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

> आज्ञा से, अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5/2021/3968 /6-pu-1-21-1300(7)-1994, dated December 7, 2021 for general information:

No. 5/2021/3968/6-pu-1-21-1300(7)-1994

Dated Lucknow, December 7, 2021

IN exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Armed Constabulary Act, 1948 (U.P. Act no. 40 of 1948) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015.

THE UTTAR POLICE RADIO SUBORDINATE SERVICE (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service (Fourth Amendment) Rules, 2021
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 12

 In the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015, for rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I

Existing rule

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

Marital Status

12. No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Marital Status

12. A person will not be eligible for appointment to a post in service who has more than one spouse living or a person will not be eligible who contracts marriage with a person who already has a spouse living.

COLUMN-I

Existing rule

shall be eligible for appointment to service:

Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,

Apar Mukhya Sachiv.